



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, सितम्बर 3—सितम्बर 9, 2017, शनिवार/भाद्र 12—भाद्र 18, 1939  
No. 28] NEW DELHI, SEPTEMBER 3—SEPTEMBER 9, 2017, SATURDAY/BHADRA 12—BHADRA 18, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2017

का.नि.आ. 67.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन बहु-कृतिक कर्मचारिवृंद भर्ती नियम 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में बहु-कृतिक कर्मचारिवृंद (माली, चपरासी, दफ्तरी, गेस्टेटर आपरेटर, चौकीदार, मोटर परिवहन क्लीनर, सफाईवाला, पैकर और मजदूर) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् —

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन बहु-कृतिक कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

## 2. लागू होना :— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

## 3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता, आदि** :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** :— वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

| पद का नाम                        | पदों की संख्या   | वर्गीकरण   | वेतन मैट्रिक्स में स्तर       |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|
| (1)                              | (2)  | (3)  | (4)                           |
| 1. बहु-कृतिक कर्मचारिवृंद (माली) | 29* (2017)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर - 1<br>(18000-56900 रु.) |

| चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा  |
|------------------|--|
| (5)              | (6)  |
| लागू नहीं होता   | 18 से 27 वर्ष (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल की जा सकती है)।<br><b>टिप्पण-1:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p> |
|--|--|

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं                             | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
| (7)  | (8)  | (9)                           |
| (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण।<br>(ii) किसी नर्सरी या संगठन में माली के रूप में दो वर्ष का अनुभव। | लागू नहीं होता   | दो वर्ष                       |

|   |   |
|---|---|
| <b>भर्ती की पद्धति :</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
| (10)  | (11)  |
| सीधी भर्ती द्वारा   | लागू नहीं होता  |

|  |   |
|--|---|
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना  | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (12)   | (13)  |
| <p><b>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—</b></p> <p>(1) निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष</p> <p>(2) ज्येष्ठ सिविलियन स्टॉफ अफसर - सदस्य</p> <p>(3) सिविलियन स्टॉफ अफसर की पंक्ति के दो अधिकारी - सदस्य</p> | लागू नहीं होता  |

|  |  |  |                               |
|--|--|--|-------------------------------|
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)                           |
| 2. बहु-कृतिक कर्मचारिवृंद (चपरासी/दफ्तरी/ गैस्टेटरनर आपरेटर) | 98* (2017)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर - 1<br>(18000-56900 रु.) |

| (5)            | (6)   |
|----------------|---|
| लागू नहीं होता | <p>18 से 27 वर्ष (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल की जा सकती है)।</p> <p><b>टिप्पण-1:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p> |

| (7)  | (8)            | (9)     |
|--|----------------|---------|
| (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण।            | लागू नहीं होता | दो वर्ष |
| (ii) कार्यालय परिचर के रूप में दो वर्ष का अनुभव। |                |         |

| (10)              | (11)           |
|-------------------|----------------|
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता |

| (12)  | (13)            |
|---|-----------------|
| <p><b>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</b></p> <p>(1) निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष</p> <p>(2) ज्येष्ठ सिविलियन स्टॉफ अफसर - सदस्य</p> <p>(3) सिविलियन स्टॉफ अफसर की पंक्ति के दो अधिकारी - सदस्य</p> | लागू नहीं होता। |

| (1)                                 | (2)  | (3)  | (4)                           |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 3. बहु-कृतिक कर्मचारिवृंद (चौकीदार) | 34* (2017)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर - 1<br>(18000-56900 रु.) |

| (5)            | (6)   |
|----------------|---|
| लागू नहीं होता | <p>18 से 27 वर्ष (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण-1:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से</p> |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p> |
|--|---|

| (7)   | (8)            | (9)     |
|---|----------------|---------|
| (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण।   | लागू नहीं होता | दो वर्ष |
| (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या संगठन में चौकीदार के रूप में दो वर्ष का अनुभव। |                |         |

| (10)              | (11)           |
|-------------------|----------------|
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता |

| (12)   | (13)            |
|--|-----------------|
| <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>(1) निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष</p> <p>(2) ज्येष्ठ सिविलियन स्टॉफ अफसर - सदस्य</p> <p>(3) सिविलियन स्टॉफ अफसर की पंक्ति के दो अधिकारी - सदस्य</p> | लागू नहीं होता। |

| (1)  | (2)  | (3)  | (4)                           |
|--|--|--|-------------------------------|
| 4. बहु-कृतिक कर्मचारिवृंद (मोटर परिवहन क्लीनर) | 12* (2017)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर - 1<br>(18000-56900 रु.) |

| (5)            | (6)   |
|----------------|---|
| लागू नहीं होता | <p>18 से 27 वर्ष (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण-1:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार</p> |

|   |   |  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।  |   |  |                               |
| (7)   |   | (8)  | (9)                           |
| (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण।   |   | लागू नहीं होता   | दो वर्ष                       |
| (ii) यांत्रिक कार्यशाला में दो वर्ष का अनुभव।   |   |  |                               |
| (10)  |   | (11)   |                               |
| सीधी भर्ती द्वारा   |   | लागू नहीं होता   |                               |
| (12)  |   | (13)   |                               |
| समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- |   | लागू नहीं होता।  |                               |
| (1) निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय  |   | - अध्यक्ष  |                               |
| (2) संयुक्त/उप या सहायक निदेशक (सामग्री), तटरक्षक मुख्यालय  |   | - सदस्य  |                               |
| (3) सिविलियन स्टॉफ अफसर की पंक्ति के दो अधिकारी   |   | - सदस्य  |                               |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)                           |
| 5. बहु-कृतिक कर्मचारिवृंद (सफाईवाला)  | 39* (2017)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।  | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर – 1<br>(18000-56900 रु.) |
| (5)   | (6)   |  |                               |
| लागू नहीं होता  | 18 से 27 वर्ष (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल की जा सकती है)<br><br><b>टिप्पण-1:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)<br><br><b>टिप्पण-2:</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। |  |                               |
| (7)   |   | (8)  | (9)                           |
| (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण।   |   | लागू नहीं होता   | दो वर्ष                       |
| (ii) किसी मान्यताप्राप्त फर्म में सफाई कार्य का दो वर्ष का अनुभव                                      |   |  |                               |



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| (10)              | (11)           |
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता |

|   |                 |
|---|-----------------|
| (12)  | (13)            |
| समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—<br>(1) निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष<br>(2) ज्येष्ठ सिविलियन स्टॉफ अफसर - सदस्य<br>(3) सिविलियन स्टॉफ अफसर की पंक्ति के दो अधिकारी - सदस्य | लागू नहीं होता। |

|                                  |  |  |                               |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|
| (1)                              | (2)  | (3)  | (4)                           |
| 6. बहु-कृतिक कर्मचारिवृंद (पैकर) | 05* (2017)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर - 1<br>(18000-56900 रु.) |

|                |   |
|----------------|---|
| (5)            | (6)   |
| लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल की जा सकती है)<br><b>टिप्पण-1:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)<br><b>टिप्पण-2:</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। |

|  |                |         |
|--|----------------|---------|
| (7)  | (8)            | (9)     |
| (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण।<br>(ii) उस व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| (10)              | (11)           |
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता |

|   |                 |
|---|-----------------|
| (12)  | (13)            |
| समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—<br>(1) निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष<br>(2) संयुक्त/उप या सहायक निदेशक (संभारिकी), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य<br>(3) सिविलियन स्टॉफ अफसर की पंक्ति के दो अधिकारी - सदस्य | लागू नहीं होता। |

| (1)                                  | (2)  | (3)   | (4)                           |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 7. बहु-कृतिक कर्मचारिवृंद<br>(मजदूर) | 02* (2017)<br>*कार्यभार के आधार पर<br>परिवर्तन किया जा सकता<br>है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग',<br>अराजपत्रित, अनुसूचिकीय | स्तर - 1<br>(18000-56900 रु.) |

| (5)            | (6)  |
|----------------|--|
| लागू नहीं होता | <p>18 से 27 वर्ष (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण-1:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p> |

| (7)   | (8)            | (9)     |
|---|----------------|---------|
| (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण।<br>(ii) किसी फर्म में मजदूर के रूप में दो वर्ष का अनुभव।<br>(iii) शरीर अच्छा डील-डौल का हो। | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| (10)              | (11)           |
|-------------------|----------------|
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता |

| (12)   | (13)            |
|--|-----------------|
| <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—</p> <p>(1) निदेशक (प्रशासन), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष</p> <p>(2) ज्येष्ठ सिविलियन स्टॉफ अफसर - सदस्य</p> <p>(3) सिविलियन स्टॉफ अफसर की पंक्ति के दो अधिकारी - सदस्य</p> | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. सीपी/0601/एमटीएस/129/डी(सीजी)/2017]

सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव



## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th August, 2017

**S.R.O. 67.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Coast Guard Organisation Multi Tasking Staff Recruitment Rules 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi Tasking Staff (Mali, Peon, Daftry, Gestetner Operator, Chowkidar, Motor Transport Cleaner, Safaiwala, Packer and Mazdoor) in Coast Guard Organisation under Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Organisation Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, and qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said Posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of the Post              | Number of posts   | Classification   | Level in the Pay Matrix      | Whether selection post or non-selection post |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|--|
| (1)                           | (2)   | (3)  | (4)                          | (5)  |
| 1. Multi Tasking Staff (Mali) | 29* (2017)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level-1<br>(Rs. 18000-56900) | Not applicable                               |

| Age-limit for direct recruits  | Educational and other qualifications required for direct recruits  | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|--|--|---|-----------------------------|
| (6)  | (7)  | (8)   | (9)                         |
| 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants, Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Class candidates as per Government instructions issued from time to time)<br><b>Note 1:</b> —The crucial date for determining the age limit shall be | (i) Matriculation or equivalent pass<br>(ii) Two years experience as Mali in any nursery or organisation | Not applicable  | Two years                   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p><b>Note 2:-</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|

| <b>Method of recruitment:</b><br>Whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation or by Absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition   | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|
| (10)  | (11)  | (12)  | (13)  |
| By direct recruitment   | Not applicable  | <p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—</b></p> <p>(1) Director (Personnel) Coast Guard headquarters - Chairman</p> <p>(2) Senior Civilian Staff Officer - Member</p> <p>(3) Two Officers of the rank of Civilian Staff Officer - Members</p> | Not applicable.   |

| (1)   | (2)  | (3)  | (4)                          | (5)            |
|---|--|--|------------------------------|----------------|
| 2. Multi Tasking Staff (Peon/Daftry/Gestetner Operator) | 98*(2017)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level-I<br>(Rs. 18000-56900) | Not applicable |

| (6)   | (7)  | (8)            | (9)       |
|---|--|----------------|-----------|
| 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants, Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Class candidates as per Government instructions issued from time to time).<br><b>Note 1:-</b> The crucial date for determining the age limit shall be | <p>(i) Matriculation or equivalent pass</p> <p>(ii) Two years experience as office attendant</p> | Not applicable | Two years |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p><b>Note 2:-</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p> |  |  |  |
|---|--|--|--|

| (10)                  | (11)           | (12)   | (13)            |
|-----------------------|----------------|--|-----------------|
| By direct recruitment | Not applicable | <p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—</b></p> <p>(1) Director (Personnel) Coast Guard headquarters - Chairman</p> <p>(2) Senior Civilian Staff Officer -Member</p> <p>(3) Two Officers of the rank of Civilian Staff Officer - Members</p> | Not applicable. |

| (1)                                | (2)  | (3)  | (4)                          | (5)            |
|------------------------------------|--|--|------------------------------|----------------|
| 3. Multi Tasking Staff (Chowkidar) | 34*(2017)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level-1<br>(Rs. 18000-56900) | Not applicable |

| (6)  | (7)  | (8)            | (9)       |
|--|--|----------------|-----------|
| <p>18 to 27 years (Relaxable for Government Servants, Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Class candidates as per Government instructions issued from time to time)</p> <p><b>Note 1:-</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba</p> | <p>(i) Matriculation or equivalent pass</p> <p>(ii) Two years' experience as Chowkidar in any recognised institution or organisation</p> | Not applicable | Two years |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  |  |  |  |
| <b>Note 2:-</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names. |  |  |  |

| (10)                  | (11)           | (12)  | (13)            |
|-----------------------|----------------|---|-----------------|
| By direct recruitment | Not applicable | <b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—</b><br><br>(1) Director (Personnel) Coast Guard Headquarters - Chairman<br>(2) Senior Civilian Staff Officer -Member<br>(3) Two Officers of the rank of Civilian Staff Officer - Members | Not applicable. |

| (1)  | (2)  | (3)  | (4)                          | (5)            |
|--|--|--|------------------------------|----------------|
| 4. Multi Tasking Staff (Motor Transport Cleaner) | 12*(2017)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level-1<br>(Rs. 18000-56900) | Not applicable |

| (6)  | (7)  | (8)            | (9)       |
|--|--|----------------|-----------|
| 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants, Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Class candidates as per Government instructions issued from time to time)<br><br><b>Note 1:-</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br><br><b>Note 2:-</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names. | (i) Matriculation or equivalent pass<br><br>(ii) Two years experience in mechanical workshop | Not applicable | Two years |



| (10)                  | (11)           | (12)  | (13)            |
|-----------------------|----------------|---|-----------------|
| By direct recruitment | Not applicable | <b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—</b><br>(1) Director (Personnel) Coast Guard Headquarters - Chairman<br>(2) Joint/Deputy or Assistant Director (Material), Coast Guard Headquarters -Member<br>(3) Two Officers of the rank of Civilian Staff Officer - Members | Not applicable. |

| (1)                                | (2)  | (3)  | (4)                          | (5)            |
|------------------------------------|--|--|------------------------------|----------------|
| 5. Multi Tasking Staff (Safaiwala) | 39*(2017)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level-1<br>(Rs. 18000-56900) | Not applicable |

| (6)  | (7)   | (8)            | (9)       |
|--|---|----------------|-----------|
| 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants, Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Class candidates as per Government instructions issued from time to time)<br><br><b>Note 1:-</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br><br><b>Note 2:-</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names. | (i) Matriculation or equivalent pass<br>(ii) Two years experience in cleanship in any recognised firm | Not applicable | Two years |

| (10)                  | (11)           | (12)   | (13)            |
|-----------------------|----------------|--|-----------------|
| By direct recruitment | Not applicable | <b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—</b><br>(1) Director (Personnel) Coast Guard Headquarters - Chairman<br>(2) Senior Civilian Staff Officer -Member<br>(3) Two Officers of the rank of Civilian Staff Officer -Members | Not applicable. |

| (1)                             | (2)   | (3)  | (4)                          | (5)            |
|---------------------------------|---|--|------------------------------|----------------|
| 6. Multi Tasking Staff (Packer) | 5*(2017)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level-1<br>(Rs. 18000-56900) | Not applicable |

| (6)  | (7)  | (8)            | (9)       |
|--|--|----------------|-----------|
| 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants, Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Class candidates as per Government instructions issued from time to time)<br><br><b>Note 1:-</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br><br><b>Note 2:-</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names. | (i) Matriculation or equivalent pass<br><br>(ii) Two years experience in the trade | Not applicable | Two years |

| (10)                  | (11)           | (12)   | (13)            |
|-----------------------|----------------|--|-----------------|
| By direct recruitment | Not applicable | <b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—</b><br><br>(1) Director (Personnel) Coast Guard Headquarters - Chairman<br>(2) Joint/Deputy or Assistant Director (Logistics), Coast Guard Headquarters -Member<br>(3) Two Officers in the rank of Civilian Staff Officer - Members | Not applicable. |

| (1)                              | (2)   | (3)  | (4)                          | (5)            |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|----------------|
| 7. Multi Tasking Staff (Mazdoor) | 2*(2017)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level-1<br>(Rs. 18000-56900) | Not applicable |

| (6)   | (7)   | (8)            | (9)       |
|---|---|----------------|-----------|
| 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants, Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Class candidates as per Government instructions issued from time to time)<br><b>Note 1:-</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for | (i) Matriculation or equivalent pass<br><br>(ii) Two years experience as Mazdoor in a firm<br><br>(iii) Should have a good physique | Not applicable | Two years |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p><b>Note2:-</b>In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p> |  |  |  |
|---|--|--|--|

| (10)                  | (11)           | (12)   | (13)            |
|-----------------------|----------------|--|-----------------|
| By direct recruitment | Not applicable | <p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—</b></p> <p>(1) Director (Administration) Coast Guard Headquarters - Chairman</p> <p>(2) Senior Civilian Staff Officer - Member</p> <p>(3) Two Officers of the rank of Civilian Staff Officer - Members</p> | Not applicable. |

[F. No. CP/0601/MTS /129/D(CG)/2017]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.

## (रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

**का.नि.आ. 68.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में फायर इंजन ड्राइवर 'घ' पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ख' फायरइंजन ड्राइवर 'घ' भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद का नाम, संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.—**वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या